

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना - म0प्र0

क्र./उप.निर्वा./2020/478

मुरैना, दिनांक :- 17.03.2020

!! ई.-निविदा विज्ञप्ति !!

उप निर्वाचन 2020 विधानसभा क्षेत्र-04, जौरा हेतु वैवकॉस्टिंग एवं सी.सी.टी.वी. कार्य हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से ई.टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से ई.निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तों के तहत ई.निविदाये आमंत्रित की जाती हैं।

2. वैवकॉस्टिंग एवं सी.सी.टी.वी. हेतु जारी ई.निविदा के राशि रु. 10,000/- (दस हजार मात्र) की धरोहर राशि (ई-ई.एम.डी. राशि) एवं ऑनलाईन आवेदन का शुल्क राशि रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र) निविदादाताओं को ऑनलाईन जमा कराना होगा तथा जमा राशि की एक प्रति तकनीकी ऑफर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3. ई-निविदा का विस्तृत mptenders.gov.in पर भी उपलब्ध है। जिनमें निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें दी गई हैं।

4. ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित की गई हैं :-

(अ) ऑन लाईन ई.निविदा कय करने की अंतिम तिथि 01/04/2020 समय सांय 05:00 बजे तक।

(ब) ऑन लाईन ई.निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 02/04/2020 समय सांय 05:00 बजे तक।

5. प्राप्त निविदाओं में सर्व प्रथम तकनीकी निविदाये दिनांक 03/04/2020 को दोपहर 12:00 बजे अथवा उसके पश्चात कलेक्टर सभागार, कलेक्टर कैंपस, जिला मुरैना में खोली जावेगी। तत्पश्चात तकनीकी निविदाओं में पात्र पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदाये उसी दिनांक को सांय 03:00 बजे अथवा उसके पश्चात खोली जावेगी।

6. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला मुरैना का होगा। इस हेतु पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

7. निविदा हेतु शेष शर्तें निविदा प्रपत्र में विस्तार से दी गई हैं।

कलेक्टर एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला मुरैना - म.प्र.

मुरैना, दिनांक :- 17.03.2020

पृ.क्र./उप.निर्वा./2020/479

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड़, भोपाल की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस-नोट हेतु प्रकाशनार्थ।
3. आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना की ओर कार्यालयीन सूचना-पटल पर चरप्पा करने हेतु।
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला मुरैना की ओर राष्ट्रीय स्तर के कम से कम तीन समाचार पत्रों में प्रेस-नोट के सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
8. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. जिला मुरैना की ओर एन.आई.सी. की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (समस्त)/तहसीलदार, तहसील (समस्त)/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) जिला मुरैना की ओर अपने कार्यालयीन पटल पर सूचना चरप्पा किये जाने हेतु सूचनार्थ।
10. प्रबंधक, ई-गवर्नेंस, जिला मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला मुरैना - म.प्र.